

4/3/17
राजेश्वर
राजेश्वर

ARREST UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Complaint or report made on

Address of the Complainant

श्री १०० पु. गोकुल चौराहा

प्राथमिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
गोहाद जिला

व नाम

रायबाबू रावरी

Name, parentage, caste and address of accused

रायबाबू डा. निवासाय रावरी उय ५८ वर्ष
मि. वाई ३ १६ गोकुल नगर गोकुल चौराहा

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक २५-३-१७ मुका

जमेद रोड आदि, जो है व ले रखने में आपना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
धिपत्य में २० लीटर/पाव/बोतल दि. शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।

ऐसा करके आपने आबकारी अ. १९१५ की धारा ३४-१ (क) के अधीन दण्डनीय
राष्ट्र करित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिष्ठा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

प्राथमिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
गोहाद जिला

राजेश्वर, जे. एम. दण्डनीय दण्डनीय करी का विवेक

रायबाबू

प्राथमिक मजिस्ट्रेट का कार्यालय
गोहाद जिला

/ निर्णय /

(मान्य दिनांक 12-4-17 को भविष्य)

01 अभियुक्त को आधकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़ाया सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करने का मत प्रकट किया।

02 संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आधकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।

03 अभियुक्त को आधकारी अधिनियम 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायिक दण्ड तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500/- रकम का अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 07 दिवस का कारावास की सजा भुगतानी आये।

मान्यशुभा सम्पत्ति

20/04/17 24/04

मान्य अधिकारी

मान्य अधिकारी

मान्य अधिकारी
5/12/17